



निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पत्रांक 3051 / आ0बा0से सुप0भर्ती-1920-4 / 2026-27

दिनांक 24 अक्टूबर, 2026

विज्ञप्ति

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत भर्ती वर्ष 2026-27 में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद पर चयन हेतु चिन्हित रिक्त 31 पदों पर, केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर सम्बन्धित कार्यकर्तियां अपनी डिजिटल पत्रावली को अद्यतन सूचना के अनुसार दिनांक: 26.10.2026 से दिनांक 25.11.2026 की सांय 05 बजे तक ऑनलाईन अपडेट कर सकती हैं।

रिक्त पदों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्नानुसार है:-

- (1) पदनाम - सुपरवाईजर (समूह 'ग') (2) वेतनमान- 29200-92300 लेवल 05
(3) आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण रोस्टर के अनुसार

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
सुपरवाईजर	04	0	07	03	17	31

क्षैतिज आरक्षण-शासनादेशानुसार उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विज्ञापित पदों में से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित अनारक्षित श्रेणी हेतु 02 पद एवं राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 01 पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। परन्तु रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष रोस्टर में निर्धारित दिव्यांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित हेतु निर्धारित प्रतिशत के आधार पर क्षैतिज आरक्षण हेतु उपलब्ध पदों की संख्या शून्य है।

(4) अनिवार्य अर्हता:-

4.1 आयु- आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (दिनांक 01 जुलाई 2026) को न्यूनतम 31 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।

4.2 अनुभव -चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (01 जुलाई 2026) को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो।

4.3 शैक्षिक अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

चयन से सम्बन्धित रिक्तियों का विवरण, अर्हता और शर्तें इत्यादि वेबसाइट <https://wecdukschemes.in> पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित हैं। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन एवं SOP का भलीभांति अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(बी0एल0राणा)
निदेशक



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।

ई मेल dir.icds.ua@gmail.com



पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान उत्तराखण्ड देहादून को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सर्वाधिक पाठक/प्रसार वाले पृष्ठ में डी.ए.वी.पी. दरों पर दिनांक 26.10.2026 के अंक में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो-दो प्रतियों में निदेशालय को प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
2. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।


निदेशक